न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 102/2023
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क आर.टी.क्ट
निर्णय दिनांक 28.05.2024

1. सत्यपाल सिंह पुत्र साहबसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. मिथलेश पत्नी लेखराज उम्र 40 वर्ष जाति जाटव निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनपुर तहसील नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट अप्रार्थी की तरफ से

श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

:: निर्णय ::

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के सभी पक्षकार बालिग व स्वस्थ चित्त है तथा मुकदमा लडने योग्य हैं।
2. यह कि प्रार्थी खसरा नंबर 525 रकबा 0.32, 526 रकबा 0.32 किता 2 रकबा 0.64 हैक्ट वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई का खातेदार काश्तकार व अभिधारी है। तथा अप्रार्थीया संख्या 1 खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 की खातेदार व अभिधारी है। प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबरान 525 व 526 ग्राम शाहपुर के पूर्व की तरफ अप्रार्थीया सं. 1 की खातेदारी का उक्त खसरा नंबर 538 है तथा उक्त खसरा नंबर 538 के वाजानिव पूर्व गैर मुमकिन सडक का खसरा नंबर 426 रकबा

28/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1.21 ग्राम शाहपुर मौजूद है। प्रार्थी अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 525 व 526 को ट्रेक्टर से जोतने व बोने के लिए व कृषि जिंस को लाने ले जाने के लिए तथा भूसा व कडवी आदि कृषि कार्य प्रार्थी व उसके परिवारजन गैर मुमकिन सडक के खसरा नंबर 426 से चलकर व होते हुए खसरा नंबर 1791/537 व 1790/537 वाके ग्राम शाहपुर के चिपटैमा वाजानिव दक्षिण खसरा नंबर 538 में विद्यमान 20 फीट चौडे रास्ता में होकर पुराने समय से यानि की पुरखों के समय से आते जाते रहे हैं। व उक्त खसरा नंबर 538 में विद्यमान मान 20 फीट चौडे रास्ते को उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। इसके अलावा प्रार्थी के खसरा नंबर 525 व 526 में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता पुराने समय से आपसी सहमति से चला आ रहा है।

3. यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 के अधीनस्थ हल्का पटवारी से मिलजुलकर दिनांक 05.07.2023 को वमुकाम शाहपुर पर प्रार्थी को यह एलानियां धमकी दी है कि वह प्रार्थी के खसरा नंबर 525 व 526 ग्राम शाहपुर में आवागमन के 20 फीट चौडे रास्ते को जो कि अप्रार्थी सं. 1 के खसरा नंबर 538 में वि में विद्यमान है को पुख्ता दीवार लगाकर बंद कर देंगे अथवा प्रार्थी को लठैत लोगों की मदद लेकर निकलने नहीं देंगे। अगर अप्रार्थी सं. 1 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट पेश करना लाजिमी हो गया है।

4. यह कि प्राथी न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रतिकर का संदाय करने के लिए तैयार है। जिस वावत न्यायालय प्रार्थी को अनुज्ञात करने के लिए सक्षम है। उक्त विद्यमान रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त विद्यमान रास्ता की प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है।

5. यह कि खसरा नंबर 525 रकबा 0.32, 526 रकबा 0.32 वाके ग्राम शाहपुर के लिए खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 वाके ग्राम शाहपुर में होकर आवागमन के लिए यानि जुताई व बुवाई आदि हेतु 20 फीट चौडे रास्ते बावत न्यायालय के आदेशानुसार उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किए जाने का आदेश दिया जाना जरूरी है।

28/5/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थी भूमि दरों का भुगतान यानि कि दुगुना प्रतिकर देने को तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 को लैण्ड होल्डर होने से व अप्रार्थी सं. 3 के यहां प्रार्थी के खसरा नंबर 525 व 526 वाके ग्राम शाहपुर रहन रखे होने से पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है।

8. यह कि उक्त विद्यमान रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे।

9. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि–

10. यह कि प्रार्थी का आराजी खसरा नंबर 525 रकबा 0.32, 526 रकबा 0.33 वाके ग्राम शाहपुर का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 ग्राम शाहपुर में खातेदार एवं अभिधारी है। तथा प्रार्थी के खातेदारी के आराजी खसरा नंबर 525 व 526 ग्राम शाहपुर के पूर्व की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खसरा नंबर 538 का होना भी स्वीकार है। प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबर 525 व 526 को जोतने बोने के लिए एवं फसल बुबाई कटाई हेतु गैर मुमकिन सडक के खसरा नंबर 426 से चलकर खसरा नंबर 1791/537 व 1790/537 वाके ग्राम शाहपुर के चिपटैमा खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 वाके ग्राम शाहपुर में विद्यमान 20 फींट रास्ता वाली बात गलत है। मौके पर इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उनवानी मिथलेश बनाम सत्यपाल अंतर्गत धारा 128 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके तहत् अप्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 0.33 हैक्टे. में पत्थरगढी करवाना चाहती है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की न्यारानूर खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, जिससे प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आराजी खसरा नंबर 525 रकबा 0.32, 526 रकबा 0.32 वाके ग्राम शाहपुर के लिए खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 में से होकर बुबाई जुताई के लिए वर्तमान में कोई 20 फीट रास्ता नहीं है। अप्रार्थी वकील का कहना है कि न्यायालय श्रीमान में मुकदमा उनवानी धर्मसिंह बनाम मिथलेश अन्तर्गत धारा 251

20/5/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

व 151 जा.दी के तहत् विचाराधीन है । जिसमें भी प्रार्थी द्वारा अपने खसरा नम्बर 524 तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीया के खसरा नम्बर 538 रकबा 0.33 हैक्टे. में से रास्ता चाहा गया है। अगर इस प्रकार प्रार्थीया के खसरा नम्बर में से दो भिन्न प्रार्थना–पत्रों के माध्यम से रास्ता चाहा गया है। न्यायालय श्रीमान द्वारा रास्ता देने पर अप्रार्थीया के रकबा का आकार कम हो जायेगा। ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया। उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील का कहना है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क के तहत पेश किया गया है जिसमें खसरा नंबर 525 व 526 तक कृषि कार्य हेतु पहुंचने बाबत अप्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी आराजी खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 में से रास्ता चाहा गया है जोकि पुराने समय से 20 फीट चौडा रास्ते के माध्यम से पूर्व से उपयोग में आ रहा है। प्रार्थी को अपने खसरा नंबरान तक पहुंचने हेतु और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। कृषि कार्य हेतु यही एकमात्र रास्ता है। उक्त खसरा नंबरान पर अप्रार्थीया मिथलेश का कब्जा न होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट के संबंध में कोई प्रमाण या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी वकील का कहना है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया के खसरा नंबर 538 रकबा 0.33 हैक्टेयर से जो रास्ता चाहा गया है उसी खसरा नंबरान में से होकर एक अन्य प्रार्थी धर्मसिंह द्वारा अपने खसरा नंबर 524 तक पहुच हेतु भी रास्ता चाहा गया इस प्रकार एक खसरा नंबरान में से रास्ता देने पर उक्त खसरा नंबर का आकार कम होने के कारण अप्रार्थीया की खातेदारी की भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं रहेगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार नदबई से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् किसी खातेदार को अपनी जोत तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने पर

28/12/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ह पडोसी खातेदार की भूमि में से सशुल्क रास्ता प्राप्त कर सकता हैं। खातेदार को रास्ता अपनी जोत तक पहुंचने हेतु सुविधाजनक स्थिति हेतु प्रदान किया जा सकता है। अप्रार्थी की आराजी में से होकर अगर प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान किया जाता है तो दूसरे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जो न्यायालय में विचाराधीन है, में भी रास्ता देने पर विचार किया जावेगा जिससे अप्रार्थी के खसरा नम्बर 538 रकबा 0.33 हैक्टे. का अनेक टूकडों में विभाजन होने पर अप्रार्थीया का खसरा नम्बर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र 251 क के तहत् रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट के तहत् विचाराधीन है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ता बाबत् प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीया के पत्थरगढी बाबत् प्रार्थना–पत्र के बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.24 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

28/5/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) नादबई

उपखण्ड अधिकारी
नादबई

Scanned with OKEN Scanner